

कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार
(संग्रहालय निदेशालय)
कार्यालय, सीताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर।

निविदा आमंत्रण सूचना

दिनांक- 04-06-2026

संख्या-.....02...../कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार (संग्रहालय निदेशालय) के अंतर्गत सीताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर की सफाई एवं उद्यान के रख-रखाव कार्य हेतु 02 स्वीपर एवं 02 माली की सेवा के लिए प्रतिष्ठित निबंधित एजेंसी यथा- कंपनी/गैर सरकारी संगठन/फर्म/प्रतिष्ठान का चयन करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। कम्प्यूटर टंकित तकनीकी निविदा (Annexure-I) एवं वित्तीय निविदा (Annexure-II) दो अलग-अलग लिफाफे में सील बंद करते हुए उक्त लिफाफे पर 'आउटसोर्सिंग के तहत सेवा प्रदान करने हेतु निविदा' स्पष्ट रूप से अंकित कर मुहरबंद निविदा दिनांक- 25.06.2026 को अपराह्न 4:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में प्राप्त किया जाएगा।

शर्तें

1. निविदादाता कंपनी/गैर सरकारी संगठन/फर्म/प्रतिष्ठान के संगत कानून के अधीन निबंधित होने के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. तकनीकी निविदा के साथ संलग्न सभी अनुलग्नकों को पृष्ठांकित कर अग्रसारण पत्र पर उसका उल्लेख करना होगा।
3. तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले सभी दस्तावेजों को स्वप्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा। स्वप्रमाणित नहीं होने की स्थिति में निविदा अमान्य कर दी जाएगी।
4. निविदा स्पष्ट तथा कम्प्यूटर टंकित होनी चाहिए किसी प्रकार की कटिंग अथवा ओवर राइटिंग वाली निविदा मान्य नहीं होगी।
5. निविदादाता कंपनी/गैर सरकारी संगठन/फर्म/प्रतिष्ठान को अग्रधन के रूप में रु. 20,000/- (बीस हजार रुपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना होगा, जो सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, सीताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर के नाम से देय होगा। बैंक ड्राफ्ट निविदा सूचना निर्गत तिथि के बाद का होना चाहिए। MSME UDYAM में निबंधित निविदादाता को अग्रधन की राशि से छूट होगी।
6. निविदादाता कंपनी/गैर सरकारी संगठन/ फर्म/ प्रतिष्ठान के पास किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान में मानवबल की आपूर्ति किए जाने से संबंधित कार्य का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए। साक्ष्य के रूप में संबंधित संस्थान द्वारा निर्गत संतोषजनक कार्य का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, कार्यादेश मान्य नहीं होगा।
7. निविदादाता कंपनी/गैर सरकारी संगठन/फर्म/प्रतिष्ठान का पिछले तीन ऑडिट किए गए वित्तीय वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर 50 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिए। निविदा



- देने वाले को पिछले तीन वर्षों का ऑडिट किया हुआ वित्तीय विवरण (लाभ-हानि विवरण) जमा करना होगा, जो किसी प्रमाणित C.A. द्वारा विधिवत सत्यापित हो।
8. निविदादाता कंपनी/गैर सरकारी संगठन/फर्म/प्रतिष्ठान के नाम से चल रहे बैंक खाते का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 9. निविदादाता कंपनी/गैर सरकारी संगठन/फर्म/प्रतिष्ठान के पास वैध लेबर लाइसेंस, PAN, GST पंजीकरण प्रमाण पत्र, GST रिटर्न की अद्यतन प्रति, IT रिटर्न की अद्यतन प्रति (पिछले 3 वित्तीय वर्षों सहित), ESIC, EPF पंजीकरण, सक्षम प्राधिकार से निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण-पत्र होना चाहिए जिसकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रतियां तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।
 10. निविदादाता कंपनी/गैर सरकारी संगठन/फर्म/प्रतिष्ठान को पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसी भी सरकारी/अर्ध-सरकारी/ PSU उपक्रम द्वारा ब्लैकलिस्ट, पंजीकरण रद्द या प्रतिबंधित नहीं किया गया होना चाहिए। इसे एक शपथ पत्र के रूप में गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसे प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी अथवा नोटरी द्वारा सत्यापित किया गया हो।
 11. निविदादाता कंपनी/गैर सरकारी संगठन/फर्म/प्रतिष्ठान के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई मामला लंबित न होने सम्बन्धी गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ-पत्र संलग्न करना होगा जिसे प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी अथवा नोटरी द्वारा सत्यापित किया गया हो।
 12. माली की मजदूरी श्रम विभाग द्वारा निर्धारित कुशल एवं स्वीपर अकुशल श्रेणी के होने चाहिए।
 13. वित्तीय निविदा में दर E.P.F., E.S.I तथा लागू सभी कर एवं सेवा प्रदाता के सेवा शुल्क सहित अंकित करें। मासिक देय राशि के दर की गणना माह में 26 (छब्बीस) दिनों की मजदूरी के आधार पर श्रम विभाग द्वारा अद्यतन देय पारिश्रमिक की श्रेणी के अनुसार की जायेगी। वित्तीय प्रस्ताव में मदवार राशि अंकित करें, यथा- देय मजदूरी + E.P.F. + E.S.I. + सेवा शुल्क + अन्य कोई कर यदि लागू हो + G.S.T.।
 14. निविदादाता द्वारा वित्तीय निविदा में सेवा शुल्क बिहार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सेवा शुल्क 3.85% से कम अंकित नहीं किया जाएगा। सेवा शुल्क निर्धारित दर से काम अंकित किए जाने की स्थिति में निविदा अमान्य कर दी जाएगी।
 15. चयनित एजेंसी को रु. 1000/- (रुपये एक हजार) मात्र के गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, सीताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारी के साथ एकरारनामा संपन्न करना होगा, जिसके नियम एवं शर्तों का पालन करना एजेंसी के लिए अनिवार्य होगा।
 16. चयनित एजेंसी को जमानत राशि के रूप में रु. 1,00,000/- का बैंक ड्राफ्ट अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत रु 1,00,000/- की बैंक गारंटी जो सहायक संग्रहालयाध्यक्ष,



सीताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर के नाम से निर्गत हो, एकरारनामा के साथ जमा कराना होगा।

17. चयनित एजेंसी द्वारा प्रतिनियुक्त किये जाने वाले माली, सफाईकर्मी की आयु 18 वर्ष से कम तथा 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवश्यकतानुसार माली एवं सफाई कर्मी की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकेगी।
18. चयनित एजेंसी को सभी सफाई कर्मी एवं माली को पहचान-पत्र एवं पोशाक उपलब्ध कराना होगा, जिस पर सम्बन्धित एजेंसी का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
19. एजेंसी का चयन एक वर्ष के लिए अथवा विभाग स्तर पर एजेंसी के चयन होने तक, जो भी पहले हो, के लिए किया जाएगा। एजेंसी का कार्य संतोषप्रद रहने तथा विभाग स्तर पर एजेंसी की चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने की स्थिति में एजेंसी की कार्य अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
20. चयनित एजेंसी को प्रतिनियुक्त किये गए कर्मियों का EPF तथा ESI में कराये गए पंजीकरण का सत्यापित विवरण एवं प्रतिनियुक्त किये गए कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण-पत्र प्रथम माह के विपत्र के साथ उपलब्ध कराना होगा, जिसके उपरांत ही प्रथम माह के विपत्र का भुगतान किया जाएगा।
21. एजेंसी को प्रतिनियुक्त किए गए कर्मियों को अगले माह के 7 तारीख तक पारिश्रमिक का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाना अनिवार्य होगा।
22. आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भुगतान किया जाएगा, आवंटन के अभाव में भुगतान में विलम्ब हो सकता है। उक्त स्थिति में कर्मी को चयनित एजेंसी द्वारा नियमित रूप से भुगतान करना होगा।
23. चयनित एजेंसी को कर्मियों को भुगतान की गई राशि का बैंक स्टेटमेंट, EPF तथा ESI मद में भुगतान किए गए निर्धारित अंशदान (फर्म+कर्मी) की राशि के साक्ष्य की सत्यापित विवरणी कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही अगले माह के विपत्र का भुगतान किया जाएगा।
24. कार्य संतोषजनक न रहने की स्थिति में चयनित एजेंसी को एक माह का नोटिस देते हुए एकरारनामा समाप्त कर दिया जायेगा तथा उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
25. निविदा को आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः स्वीकृत अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
26. किसी भी प्रकार के विवाद के निस्तारण हेतु स्थानीय स्तर पर न्यायिक क्षेत्र सीताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर होगा एवं राज्य स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना होगा।
27. आर्बिट्रेशन की स्थिति में आर्बिट्रेशन का स्थान पटना होगा तथा निदेशक, संग्रहालय, बिहार आर्बिट्रेशन प्राधिकार/एक मात्र आर्बिट्रेटर होंगे।

Shafiqe Kaur
04/08/24

सहायक संग्रहालयाध्यक्ष,
सीताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर।

[Handwritten mark]

अनुसूची-I

(निविदादाता के लेटर पैड पर तकनीकी निविदा के साथ)

तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक संलग्नकों की सूची (चेक लिस्ट)

क्र.	संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज का विवरण	टिक करें		पृष्ठ संख्या
		हाँ	नहीं	
1	निविदादाता के संगत कानून के अधीन निर्बंधित होने के प्रमाण-पत्र			
2	कार्यालय प्रधान के नाम से देय रू. 10,000/- (दस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट			
3	अनुभव प्रमाण-पत्र			
4	निविदादाता का पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2023-24, 2024-25 2025-26 का C.A. द्वारा ऑडिट रिपोर्ट			
5	निविदादाता के नाम से चल रहे बैंक खाते का प्रमाण			
6	निविदादाता के वैध लेबर लाइसेंस की छायाप्रति			
7	निविदादाता के PAN Card की छायाप्रति			
8	निविदादाता के GST पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति			
9	निविदादाता के पिछले 3 वित्तीय वर्षों 2023-24, 2024-25 2025-26 की IT रिटर्न की छायाप्रति			
10	निविदादाता के ESIC पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति			
11	निविदादाता के EPF पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति			
12	निविदादाता के अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति			
13	निविदादाता के आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति			
14	निविदादाता को पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसी भी सरकारी/अर्ध-सरकारी/PSU उपक्रम द्वारा ब्लैकलिस्ट, पंजीकरण रद्द या प्रतिबंधित नहीं किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र			
15	निविदादाता के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई मामला लंबित न होने सम्बन्धी शपथ-पत्र			
16	अन्य, यदि कोई हो			

प्रोपराइटर या प्रतिष्ठान के अधिकृत
व्यक्ति का हस्ताक्षर एवं मुहर

अनुसूची-II
(निबंधित प्रतिष्ठान अपने लेटर पैड पर जमा करेंगे)
वित्तीय निविदा

सीताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर के लिए स्वीपर तथा माली की संख्या तथा दिनांक-01.04.2026 के प्रभाव से श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा निर्गत पारिश्रमिक के दर के आधार पर गणना:-

कार्य का ब्यौरा	संख्या	श्रेणी	पारिश्रमिक की दर	माहवार राशि
माली (उद्यान एवं परिसर के सभी प्रकार के कार्य)	2	कुशल		
सफाई कर्मी (भवन एवं परिसर तथा सभी शौचालयों आदि के सफाई)	2	अकुशल		
कुल योग:-				
E.P.F. as applicable				
E.S.I. as applicable				
Service charges				
G.S.T. as applicable				
अन्य कोई कर यदि लागू हो				
कुल राशि प्रतिमाह				

नोट:-

1. वित्तीय निविदा में किसी प्रकार की कटिंग/ओवर राइटिंग रहने पर निविदा अमान्य कर दी जायेगी।
2. कार्यबलों के माहवार राशि की गणना माह में 26 दिन के आधार पर की जाएगी।

प्रोपराइटर या प्रतिष्ठान के अधिकृत
व्यक्ति का हस्ताक्षर एवं मुहर